Q. संप्रभुता के परिभाषा एवं लक्षण बतायें एवं ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन करें?

"Define sovereignty and discuss its characteristics and critically examine Austin's theory of sovereignty."

संप्रभुता राजनीतिशास्त्र का प्राण तथा राज्य की आत्मा है। हम प्रभुशक्ति
के बिना राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। संप्रभुता का निवास किसी राज्य या सरकार की ईकाई में
नहीं होता, बल्कि राज्य में होता है। अमरीकी समाजशास्त्री गिडिंग्स अपनी पुस्तक 'The
Responsible State' में भी संप्रभुता की चर्चा की है। संप्रभुता को बेन्थम ने अपनी पुस्तक 'A
Fragment of Government' में बताते है कि 'अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही
संप्रभुता है। इसे प्रभुसत्ता या राज्यसत्ता भी कहते है।
संप्रभुता का आंग्ल पर्यायवाची 'Sovereignty' (सॉवरेन्टी) होता है। Sovereignty शब्द
की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 'superanus' (सुप्रेनस) शब्द से हुआ है जिसका अर्थ
'सर्वोच्च शक्ति' (Supreme Power) होता है। 1576 ई० में फ्रांसीसी प्रसिद्ध विद्वान बोंदा
नें अपनी पुस्तक 'Six Books concerning Republic' में पहली बार संप्रभुता के सिद्धांत
का आधुनिक अर्थ में प्रयोग या वर्णन किया! आधुनिक संप्रभुता की वास्तविक नींव हॉब्स
द्वारा डाली गयी, जिसने बोंदा द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत में काफी सुधार किया! लॉक और रूसो
नें भी इसका वर्णन किया है! टी०एच० ग्रीन, बोसांके, आदि आदर्शवादी विचारकों नें राज्य
की सर्वोच्चता को स्वीकार किया और संप्रभुता का अद्वैत माना। बहुलवादियों नें सीमित,
विभाज्य और भ्रामक बताया है।

संप्रभुता के दो पहलू या स्वरूप है जो इस प्रकार वर्णित किया गया है—

① आंतरिक संप्रभुता (Internal sovereignty)- संप्रभुता के आंतरिक पक्ष का अभिप्राय यह
है कि राज्य अपनी सीमा के अंतर्गत सर्वोच्च एवं सम्पूर्ण शक्ति सम्पन्न है। यह प्रत्येक मानव
समूह या संस्था को आदेश दे सकता है और उसका पालन करने के लिए बाध्य कर सकता है।
अपनी आज्ञा के उल्लंघन करनें वालों को कठोर दण्ड भी दे सकता है। लॉस्की नें माना!

ⓑ बाह्य संप्रभुता (External sovereignty)- बाह्य संप्रभुता का आशय यह है कि राज्य
किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है। यह किसी भी देश के अधिपत्य में नहीं है बल्कि
स्वतंत्र है। राज्य अन्य राज्यों के साथ अपना संबंध निश्चित कर सकता है। यह युद्ध या शांति
स्थापना या संधि कर सकता है। 1625 ई० में हॉलैण्ड के प्रसिद्ध विद्वान ग्रोशियस नें
संप्रभुता के बाह्य पक्ष का स्पष्टीकरण किया!

संप्रभुता की परिभाषाएँ (Definitions of Sovereignty): संप्रभुता की परिभाषा
को लेकर विद्वानों में मतवैभिन्य है। ब्राइस के शब्दों में "राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत जितना
मतभेद संप्रभुता की अवधारणा को लेकर है उतना किसी भी धारणा के सन्दर्भ में नहीं है।"
गिडिंग्स के शब्दों में "सम्पूर्ण शब्दकोष में ऐसा कोई भी शब्द नहीं जिसके साथ तत्व मीमांसक
मदारी नें ऐसा खिलवाड़ किया हो ---! और राजनीतिक विज्ञान के लिए संप्रभुता ऐसा

ऐसी वस्तु बन गयी है जो न कभी पहले में थी न बाद में। इस तरह संप्रभुता के स्वरूप को कुछ ने लोकप्रिय माना, तो कुछ ने वैधानिक, कुछ ने इसके राजनीतिक महत्व स्वरूप को महत्व दिया है। अतः राजनीतिशास्त्र के विभिन्न विद्वानों ने संप्रभुता शब्द की विभिन्न परिभाषाएँ दी है—

ज्यां बोदां (Jean Bodin)- "संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर परमशक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं है।"

विलोबी (Willoughby)- "संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है।"

बर्गेस (Burgess)- "संप्रभुता राज्य के व्यक्तियों और समुदायों पर मौलिक, निरंकुश तथा असीमित शक्ति है।"

जेलिनेक (Jellinek)- "संप्रभुता राज्य का वह गुण है जिसके द्वारा राज्य अपनी इच्छा तथा शक्ति के अतिरिक्त और किसी कानून से सीमित नहीं है।"

ब्लैकस्टोन (Blackstone)- "संप्रभुता वह सर्वोच्च अनिवार्य और अनियंत्रित सत्ता है जिसके द्वारा आश्रय में बड़े-बड़े कानून होते हैं।"

ड्यूग्वी (Duguit)- "संप्रभुता राज्य की आदेश देने की शक्ति होती है। यह वह अधिकार है जिसके आधार पर राज्य के निश्चित-समाज में सभी व्यक्तियों को असीमित आदेश दिए जा सकते हैं।"

विल्सन (Wilson)- "संप्रभुता वह शक्ति है जो हमेशा क्रियाशील रहकर कानून बनाती है और उसका पालन कराती है।"

पोलॉक (Pollock)- "संप्रभुता वह शक्ति है जो न तो अस्थायी होती है और न ही किसी ऐसे नियम के अंतर्गत आती है जिन्हें वह स्वयं न बदल सके।।"

ग्रोशियस (Grotious)- "संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कृत्य अन्य किसी पर आश्रित न हो और जिसकी आज्ञा का उल्लंघन न किया जा सकता हो।"

आस्टिन (Austin)- "यदि किसी समाज का अधिकतर भाग कुछ निश्चित प्रधान व्यक्ति की आज्ञा का साधारणतः पालन करता हो, और उस निश्चित प्रधान व्यक्ति को किसी अन्य प्रधान की आज्ञा का पालन नहीं मानना पड़ती हो, तो उस समाज में वह निश्चित व्यक्ति संप्रभु होता है तथा वह समाज स्वतंत्र राज्य होता है।"

उपर्युक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति में है इसके कारण ही राज्य निर्मित विधियों और निर्धारित विशेषताएँ व्यवस्थाएँ लागू करती है जिसके कारण राज्य आंतरिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि बाह्य क्षेत्र में भी अपनी क्षमता के निर्धारण में सर्वोच्च है। अतः संप्रभुता राज्य का गुण है न कि व्यक्ति का! इसलिए निर्विवाद रूप से हर राज्य में संप्रभुता होती है परंतु इसका निवास किसी व्यक्ति या किसी इकाई में ढूंढना भूल है। अतः ऑस्टिन के संप्रभुता को मिथ्या कह सकते हैं। कभी-कभी संप्रभुता का प्रयोग सरकार के पर्यायवाची के रूप में भी होता है।

सं० के विशेषता या लक्षण (Features of Sove..):

संप्रभुता के लक्षण निम्नांकित है—

(i) मौलिकता (Originality):- राज्य की संप्रभुता मौलिक है वह अपनी स्थिति का आधार स्वयं है। इसको न तो किसी ने पैदा किया और न कोई बनाता है। अर्थात इसका अस्तित्व अपने स्वयं अधिकार है। अतः मौलिकता संप्रभुता का वास्तविक गुण है।

(2) संपूर्णता (Absoluteness):- संप्रभुता संपूर्णतः एवं असीम है यह आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों में पूर्ण है। इसके अनुसार विधियों का निर्माण, प्रवर्तन, अनुपालन की कोई सीमा नहीं है। यह किसी के अधीन नहीं। राज्य की सीमाओं के अंदर इसकी शक्ति के ऊपर कोई नहीं है। ब्राइस और लॉस्की ने भी माना।

(3.) स्थायित्व (Permanence):- संप्रभुता राज्य का स्थायी गुण है राज्य जिस प्रकार स्थायी ईकाई है उसी प्रकार संप्रभुता भी एक स्थायी तत्व है। अर्थात संप्रभुता का विनाश कभी नहीं होता है। जब तक राज्य का अस्तित्व बना रहता है तब तक संप्रभुता कायम रहती है। संप्रभुता तो अपने आप एक शासक वर्ग से दूसरे शासक वर्ग के हाथ में चले जाते हैं।

(4.) सर्वव्यापकता (Universality):- राज्य की निश्चित सीमा के अंतर्गत संप्रभुता सर्वव्यापक एवं सर्वोपरि है। एक राज्य के समस्त भूभाग पर केवल एक सर्वोपरि शक्ति व्याप्त रहती है। इसके आदेश और कानून सबके लिए समान रूप से लागू होते हैं और इसका पालन करने के लिए समान रूप से बाध्य है।

(5.) अविभाज्यता (Indivisibility):- संप्रभुता का विभाजन नहीं होता। यह अखंड है। इसकी संपूर्णता और एकता में कोई सन्देह नहीं है। गिलक्राइस्ट ने भी कहा कि "संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च-इच्छा है।" (Sovereignty is the supreme will of the state.)

(6) अदेयता या अपृथक्करणीयता (Inalienability):- राज्य के नष्ट हुए बिना संप्रभुता किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकता, अर्थात संप्रभुता को राज्य से पृथक नहीं किया जा सकता। लीबर के शब्दों में "जिस प्रकार एक वृक्ष अपने उगने तथा पनपने के अधिकार अथवा कोई मनुष्य अपने जीवन तथा व्यक्तित्व का हस्तांतरण बिना आत्म-विनाश नहीं कर सकता, उसी प्रकार राज्य अपनी संप्रभुता का हस्तांतरण बिना आत्म-विनाश के नहीं कर सकता।" गार्नर- "संप्रभुता त्यागने का अर्थ है राज्य ने आत्महत्या कर ली।

(7.) अनन्यता (Exclusiveness):- एक राज्य में केवल एक ही प्रभुशक्ति हो सकती है जिसके आदेशों का पालन जनता वैध रूप से करता हो। एक से अधिक प्रभुसत्ता का होना राज्य के भीतर राज्य की मान्यता को स्वीकारता है।

(8.) स्वतंत्रता (Independence):- स्वतंत्रता संप्रभुता के भाव में निहित है।

ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत (Austin theory of Sovereignty)

ऑस्टिन को आधुनिक काल में संप्रभुता का सबसे बड़ा व्याख्याता और हिमायती कहा जाता है। ये इंगलैंड के विधिशास्त्री थे। उन्होंने

Scanned with CamScanner

न्यायिक दृष्टि से संप्रभुता की व्याख्या की है। उसने अपने 'Lectures on Jurisprudence (1861) (विधिशास्त्र पर व्याख्यान) में संप्रभुता का वर्णन किया। ऑस्टिन का सिद्धांत बेन्थम और हॉब्स के विचारों से प्रभावित है। ऑस्टिन के शब्दों में "कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है।" (Law is the command of the superior to the Inferior.)!

ऑस्टिन ने संप्रभुता की व्याख्या इस प्रकार की- "यदि किसी समाज का अधिकांश भाग एक निश्चित प्रधान व्यक्ति की आज्ञा का साधारणतः पालन करता है और उस निश्चित प्रधान व्यक्ति को साधारणतः किसी अन्य प्रधान की आज्ञा नहीं माननी पड़ती है तो उस निश्चित प्रधान व्यक्ति को संप्रभु कह सकते हैं या होता है और वह समाज स्वतंत्र राज्य होता है।" ("If a determined human superior, not in the habit of obedience to a like superior, receives habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is the sovereign in that society political and independent.")

इनके सिद्धांत को एकलवादी सिद्धांत और विधिशास्त्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है।

संप्रभुता संबंधी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की व्याख्या आस्टिन (1790-1859) ने की है। उनके व्याख्याय में वैज्ञानिक स्पष्टता और पूर्णता है जो बहुत ही प्रभावपूर्ण है। इसकी व्याख्या की निचोड़ इसकी निम्न विशेषता से लगा सकता है—

(i) संप्रभुता सदैव एक निश्चित मनुष्य या व्यक्ति में होता है।

(ii) यह स्वतंत्र राजनीति समाज का एक आवश्यक अंग है।

(iii) संप्रभुता का आज्ञा का पालन समाज का अधिकतर भाग करता है।

(iv) संप्रभु निरंकुश एवं असीम है।

(v) संप्रभु की आज्ञा ही कानून है।

(vi) संप्रभु राज्य के लिए आवश्यक है।

(vii) संप्रभु के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती।

(viii) संप्रभुता अविभाज्य है।

आलोचनाएँ (Criticisms)- जॉन ऑस्टिन एक वकील थे उन्होंने संप्रभुता के सिद्धांत का वर्णन वैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर किया लेकिन व्यवहार में इसका सहारा नहीं लिया जिसके कारण ऑस्टिन के सिद्धांत की अनेक विद्वानों (ब्राइस, सरहेनरी मेन, सिजविक, लिंडसे, और लॉस्की) ने किया जैसे (i) निश्चित प्रधान व्यक्ति की पहचान दुष्कर है। (ii) कानून संप्रभु का आदेश मात्र नहीं। (iii) संप्रभुता अविभाज्य नहीं है। (iv) संप्रभु की शक्ति असीमित नहीं है। (v) संप्रभुता का निवास केवल राज्य में ही नहीं होता (vi) सिद्धान्त लोकतंत्रीय राज्यों के लिए अनुपयुक्त है। (vii) व्यवहारिक रूप में संप्रभुता आन्तरिक दृष्टि से निरंकुश नहीं होते! (viii) यह सिद्धांत संप्रभु व्यक्ति को निरंकुश बना देते हैं। आलोचनाओं के बावजूद इसकी विधिशास्त्रीय संबंधी सिद्धांत को सही मान्य दिया गया है।

Scanned with CamScanner

निष्कर्ष (Conclusion):- ऑस्टिन का संप्रभुता संबन्धी सिद्धांत व्यवहारिक दृष्टि से अनुपयुक्त है। ऑस्टिन एक न्यायशास्त्री थे। अतः अपने सिद्धांत की विवेचना करते समय उन्होंने व्यवहारिक पक्ष का उतना ध्यान नहीं दिया, जितना की विधि पक्ष का। वर्तमान लोकतंत्र के युग में ऑस्टिन का सिद्धांत इसलिए भी उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है, क्यों कि वर्तमान राज्यों और सरकारों का प्रायः सभी अधिकार संविधान द्वारा प्रदत होते है ऐसी अवस्था में किसी भी सरकार द्वारा संविधान का उल्लंघन करके मनमानी करना आसान नहीं होता! पर उपयुक्त आलोचना के होते हुए यह स्वीकार करना पड़ेगा कि संप्रभुता राज्य का एक आवश्यक तत्व है तथा उसके बिना समाज में केवल अव्यवस्था ही नहीं फैल सकती, अपितु राज्य का अस्तित्व भी संकट में पड़ सकता है।

इस प्रकार हम देखते है कि ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के सिद्धांत (एकलवादी) स्वीकार नहीं किया जा सकता है पर फिर भी-इसमें संदेह नहीं की उसके द्वारा संप्रभुता के जिस कानूनी पहलू पर बल दिया है वह बड़े महत्व का है, क्यों कि उसके द्वारा संप्रभुता के लौकिक व राजनीतिक रूपों की अनिश्चितता निश्चित में बदल जाती है।

BA PART - I

Dr. Akhlakh Ahmad
Dept. of Pol. Sc.
D.K. College, Dumraon